जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

ग्राम - मदाऊ, पोस्ट - भांकरोटा, जयपुर, (राज॰) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in *ई–मेल - jrrsu@yahoo.com* टेलीफैक्स: *0141 - 5132022*

क्रमांक : प (274)/जरारासंविवि/शैक्ष./2022/8746 दिनांक : 01/3/23

आर.एन.टी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,
कपासन, चित्तौड़गढ़
Email : rntkapasan1@yahoo.co.in

विषय :– शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2023–24 सम्बद्धता आवेदन के क्रम में।

सन्दर्भः– विश्वविद्यालय का कार्यालय आदेश क्रमांक प(274)जरारासंविवि/शैक्ष./2022/8514–17 दिनांक 21.02.2023 एवं आपका पत्रांक RNTCTED/S.S./2022-23/1679 दिनांक 24.02.2023।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भ में लेख है कि आपके द्वारा दिनांक 12.01.2023 को छात्र आवंटन के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन के क्रम में आयोजित विश्वविद्यालयीय सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 13.01.2023 में आपके महाविद्यालय के संबंध में निर्णय लिया गया कि 'संबंधित महाविद्यालय के प्रकरण की गहनता से विचार–विमर्श उपरान्त समिति यह अनुभव करती है कि सत्र 2017–18 से जारी स्थायी सम्बद्धता प्रकरण के क्रम में सत्र 2022–23 में स्थायी सम्बद्धता दिये जाने पर उक्त उल्लेखित बिन्दुओं के दृष्टिगत विचार किया जाना संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि संबंधित महाविद्यालय द्वारा स्थायी सम्बद्धता हेतु जमा करवाई गई सम्बद्धता शुल्क 3,00,000/– (अक्षरे रुपये तीन लाख मात्र) दिनांक 27.12.2016 को आगामी शैक्षणिक सत्रों में विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि में सम्बद्धता शुल्क के रुप में समायोजित कर ली गई। वर्तमान में संबंधित महाविद्यालय की किसी भी प्रकार की सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय में जमा नहीं है। अतः उचित होगा कि स्थायी सम्बद्धता संबंधी प्रकरण को निरस्त करते हुए बन्द कर दिया जावें एवं जिस तरह से PSST में छात्र आवंटन 2021–22 में किये जाने की अभिशंसा सम्बद्धता समिति द्वारा की गई थी तद्नुरुप ही संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन के आधार पर छात्र आवंटन की कार्यवाही की जावें एवं संबंधित संस्था को आगामी सत्र 2023–24 में सम्बद्धता आवेदन नियमानुसार करने हेतु भी लिखा जावें। साथ ही सत्र 2022–23 के सम्बद्धता शुल्क की भरपाई संबंधित महाविद्यालय को PSST मद में आवंटित परीक्षार्थियों की फीस में से किये जाने की अभिशंसा की गई।''

इसी क्रम में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक प(274)जरारासंविवि/शैक्ष./2022/8514–17 दिनांक 21.02.2023 की प्रति आपको भी प्रेषित की गई थी। सन्दर्भित कार्यालय आदेश में उल्लेख किया गया है कि नियमानुसार महाविद्यालय द्वारा सत्र 2017–18 में आवेदित स्थायी सम्बद्धता का प्रकरण न तो विचाराधीन है, ना ही लम्बित है और न ही पूर्व में प्रस्तुत किया गया आवेदन वर्तमान में विधिमान्य एवं प्रासंगिक है।

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

ग्राम - मदाऊ, पोस्ट - भांकरोटा, जयपुर, (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्सः 0141 - 5132022

अतः भविष्य में नियमानुसार सभी अभिलेखों और अर्हताओं को पूर्ण करते हुए यदि स्थायी सम्बद्धता हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो विश्वविद्यालय के द्वारा विधिक परीक्षण के उपरान्त उसको विचारार्थ स्वीकार किया जा सकता है।

सन्दर्भित आदेश की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु आपको पुनः प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

(डॉ. राजधर मिश्र)
कुलसचिव

क्रमांक : प (274)जरारासंविवि / शैक्ष. / 2022 / दिनांक :–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सचिव, मा. कुलपति महोदया, जरारासंविवि, जयपुर
2. वेबसाईट प्रभारी, जरारासंविवि, जयपुर को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित कराने हेतु।

कुलसचिव